कार्यालय वृत्ताधिकारी वृत्त किशनगढबास पुलिस जिला भिवाडी

क्रमांक 1954 दिनांक 20.11.2020

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय
पुलिस जिला भिवाडी

विषयः सम्पर्क परिवाद ज्ञानेश कुमार की जांच रिपोर्ट के संबंध मे।
प्रसंगः सम्पर्क परिवाद क्रमांक 11200678944548 के संदर्भ मे।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसंग के संदर्भ मे निवेदन है कि सम्पर्क पोर्टल परिवाद श्री ज्ञानेश कुमार परिवाद क्रमांक 11200678944548 का इस आशय का प्राप्त हुआ कि दिनांक 27/10/2020 को प्रमुख समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका जयपुर संस्करण में प्रकाशित खबर शीर्षक "पहले हत्या की एफआइआर, अगले ही दिन राजीनामा" के सम्बन्ध में| आदि परिवाद के संबंध मे थाना खैरथल पर मु नं 405/20 धारा 302, 436, 120 बी आईपीसी व 3(2) (v) एससी/एसटी एक्ट मे दर्ज कर अनुसंधान मन वृत्ताधिकारी द्वारा आरम्भ किया गया।

दौराने अनुसंधान परिवादी से दरियाफत की गई। परिवादी द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध मे लिखित मे एक प्रार्थना पत्र पेश कर लगाये गये आरोप कथित आरोपियान के विरुध्द केवल घटना स्थल व अस्पताल मे ठेकेदार सतीश व राकेश के हाजिर नही आने पर नाराज होकर लगाये गये थे। जिनको परिवादी द्वारा आवेश मे आकर रिपोर्ट मे अंकित कराया जाना तहरीर कर पेश किया गया। प्रकरण मे कोई राजीनामा नही हुआ केवल आरोपो को आवेश मे आकर स्वंय के भाई कमलकिशोर की पट्रोल डालकर हत्या कर देने को खारिज किया। प्रकरण मे अनुसंधान किया गया तो परिवादी द्वारा स्वंय के भाई के शराब ठेके मे आग लगने के कारणो के बाबत अनुसंधान चाहा है अखबार मे छपी खबर पहले हत्या की एफआईआर अगले दिन राजीनामा सही नही है। प्रकरण मे परिवादी द्वारा राजीनामा की कोई तहरीर पेश नही की प्रकरण मे अनुसंधान जारी है।

जांच रिपोर्ट श्रीमानजी की सेवामे पेश है।

ताराचन्द
(आर.पी.एस)
वृत्ताधिकारी
वृत्त किशनगढबास
जि0 अलवर (राज0)